(5) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट संख्या–483, दिनांक– 25.09.2020 द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2020 के कंडिका–5 में वर्णित प्रावधान के आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम–4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रपत्र–3 में पहचान पत्र निर्गत करेगा जिसमें अंकित लिंग के अनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।

6. <u>नियुक्ति की प्रक्रियाः–</u>

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

(अ) <u>लिखित प्रतियोगिता परीक्षा</u>–

(i) आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। **लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा** (Matric) **अथवा समकक्ष स्तर का होगा लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. गणित, 4. समाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र), 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान), 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगें।** लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी।

(ii) लिखित परीक्षा में दो घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिए जाएंगे।

(iii) **ओ0एम0आर0 (OMR)/उत्तर पुस्तिका–** ओ0एम0आर0 (OMR)/उत्तर–पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में आयोग के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किये जायेंगे।

(v) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 05 (पाँच) गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा। शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से आयोग द्वारा कम किया जा सकेगा।

(vi) लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।

(ब) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>–

(i) आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया, मद एवं स्तर वही होगा जो बिहार पुलिस में सिपाही के पद हेतु निर्धारित है।

(iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 (एक सौ) अंको की होगी। ऊँचाई और सीना के लिए कोई अंक देय नहीं होगा परंतु विहित अहर्ताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किये जायेगें। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नांकित मद होगें :–

(क) <u>दौड़</u> – अधिकतम 50 (पचास) अंक

(i) सभी कोटि के पुरूषों के लिए– 1(एक) मील (1.6 कि0मी0) अधिकतम समय– 6 मिनट में।

5 मिनट से कम	–	50 अंक
5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक	–	40 अंक
5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक	–	30 अंक
5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक	–	20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(ii) सभी कोटि के महिलाओं के लिए– 1(एक) किलोमीटर अधिकतम समय–5 मिनट में।

4 मिनट से कम	–	50 अंक
4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकण्ड तक	–	40 अंक
4 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकण्ड तक	–	30 अंक
4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक	–	20 अंक

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(ख) **<u>गोला फेंक</u>– अधिकतम 25 अंक**

(i) सभी कोटि के पुरूषों के लिए – 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा।

16 फीट से 17 फीट तक	– 09 अंक
17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक	– 13 अंक
18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक	– 17 अंक
19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक	– 21 अंक
20 फीट से ज्यादा	– 25 अंक

16 (सोलह) फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(ii) सभी कोटि की महिलाओं के लिए–12 पाउण्ड का गोला न्यूनतम 12(बारह) फीट फेंकना होगा।

12 फीट से 13 फीट तक	– 09 अंक
13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक	– 13 अंक
14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक	– 17 अंक
15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक	– 21 अंक

16 फीट से ज्यादा – 25 अंक

12 (बारह) फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(ग) **ऊँची कूद– अधिकतम 25 अंक**

(i) सभी कोटि के पुरूषों के लिए – न्यूनतम ऊँचाई 4 (चार) फीट

04 फीट	– 13 अंक
04 फीट 4 इंच	– 17 अंक
04 फीट 8 इंच	– 21 अंक
05 फीट	– 25 अंक

4 (चार) फीट से कम कूदने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(ii) सभी कोटि की महिलाओं के लिए – न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट	– 13 अंक
03 फीट 4 इंच	– 17 अंक
03 फीट 8 इंच	– 21 अंक
04 फीट	– 25 अंक

3 (तीन) फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

(घ) **किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर)** अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड पिछड़े वर्ग के समान होंगे।

(च) नियत समय (पुरूषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट) में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक/ऊँची कूद स्पर्धा/स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग–अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊँची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जायेगा।

7. **मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसाः–**

(क) उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेघा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा–दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म–तिथि के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म–तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेघा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

(ख) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में, पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हक परीक्षा (इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेघा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।